

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 790/2023

अनवान : -

1. पवन कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अर्जूनराम पुत्र टिकूराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. कौशल्या पुत्री अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. भंवरी पुत्री अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. गोपी राम पुत्र अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. सोनु शर्मा पुत्र रमेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपरिस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 16/19 की कुल 14.1660 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता, भाई व भतीजों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझौता रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 16/19 की कुल 14.1660 हैक्ट भूमि में से 2.53 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं 5.06 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है तथा 2.53 हैक्ट भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिब काबिज है एवं शेष 4.046 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

एवं प्रतिवादी संख्या 1 का सही नाम मुताबिक आधार कार्ड अर्जन राम पुत्र टीकू राम है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नवीनतम जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 16/19 की कुल 14.1660 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक/दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। सरपंच ग्राम बिरकाली द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी

संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 16/19 की कुल 14.1660 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 2.53 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 5.06 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2.53 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 4.046 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अर्जुनराम की बजाय अर्जन राम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 790/2023

अनवान : -

1. पवन कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अर्जुनराम पुत्र टिकूराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. कौशल्या पुत्री अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. भंवरी पुत्री अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. गोपी राम पुत्र अर्जन राम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. सोनु शर्मा पुत्र रमेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 790 सन 2023 निर्णय दिनांक 14/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 16/19 की कुल 14.1660 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 2.53 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 5.06 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2.53 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 4.046 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अर्जुनराम की बजाय अर्जन राम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर